

कार्यालय नगर परिषद बूंदी

क्रमांक:- 4704

दिनांक:- 21/10/2019

केरियर पोइन्ट लिमिटेड जर्ने निदेशक
श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचन्द माहेश्वरी
निवासी 112, शक्तिनगर कोटा, राजस्थान

विषय:- कृषि भूमि खसरा सं० 395 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा
खसरा संख्या 2001/390 रकबा 0.11 बिस्वा, ख०सं०
2003/393 रकबा 3 बीघा कुल रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा
या 119196 वर्गफीट वाके ग्राम देवपुरा का ले आउट प्लान
बाबत।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77) न.वि.वि./3/2010
दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं
हेतु नीति 2010 (10 हेक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में बैठक में
लिए गये निर्णय अनुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरान्त योजना विकसित किये
जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है।

1. ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार सडकों को समीपीय भूमियों के ले आउट प्लान स्वीकृत करते समय आपस में लिंक किया जाना होगा।
2. ले आउट प्लान में दर्शाये अनुसार इन्फोरमल वाणिज्यिक हेतु दुकाने प्रस्तावित कि गई है, जिसकी मौके पर सुनिश्चितता की जानी होगी एवं इन्फोरमल वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निदेशों/नियमों के अनुसार किया जाना।
3. ले आउट प्लान में दर्शाये अनुसार पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें हेतु आरक्षित भूमि की मौके पर सुनिश्चितता कि जानी होगी तथा इनका आकार समीपीय योजना अनुमोदन के समय बढ़ाया जाना उचित होगा।
4. ले-आउट प्लान मानचित्र पर भूमि के संबंध में पटवारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणिकरण किया गया है, अब फिर भी सडकों की मौके पर सुनिश्चितता हेतु ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन होने ने उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कि जाये, ताकि मौके एवं मानचित्र में विरोधाभास की स्थिति नहीं रहें।

5. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल राजस्व रिकॉर्ड/मानचित्र से अधिक नहीं होने बाबत निकाय स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
 6. योजना में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 है0 से कम) के प्रावधान लागू होने तथा तदनुसार योजना विकसित की जानी होगी।
 7. प्रस्तावित भूमि पर भविष्य में निर्माण करवाने से पूर्व स्थानिय भवन उप विधियों के अनुसार सक्षम अधिकारी से भवन विनियमों के अनुसार सैट बैक एवं अन्य मानदण्डों का प्रावधान करते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित करवाया जाना।
 8. योजना में मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना 2015 के प्रावधानों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
 9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
 10. उक्त ले-आउट का RERA में पंजियन करवाया जावे।
- सलग्न:-स्वीकृत ले आउट प्लान।



आयुक्त
नगर परिषद बूंदी

PROPOSED LAY OUT
PLAN OF RESIDENTIAL COLONY
"SHREE OM ENCLAVE"

CHATAR PURA ROAD
VILLAGE:- DAVPURA,
TEH.-BUNDI, DIST.-BUNDI
KH. NO- 395, 2001/390, 2003/393



OWNER :-

TOTAL AREA :- 119196.00 SQ.F.
7 BIGHA - 4 BISWA

S.NO.	KH.NO-	BIGHA	BISWA
1	395	03	13
2	2001/390	00	11
3	2003/393	03	00
TOTAL		07	04

LAND ANALYSIS

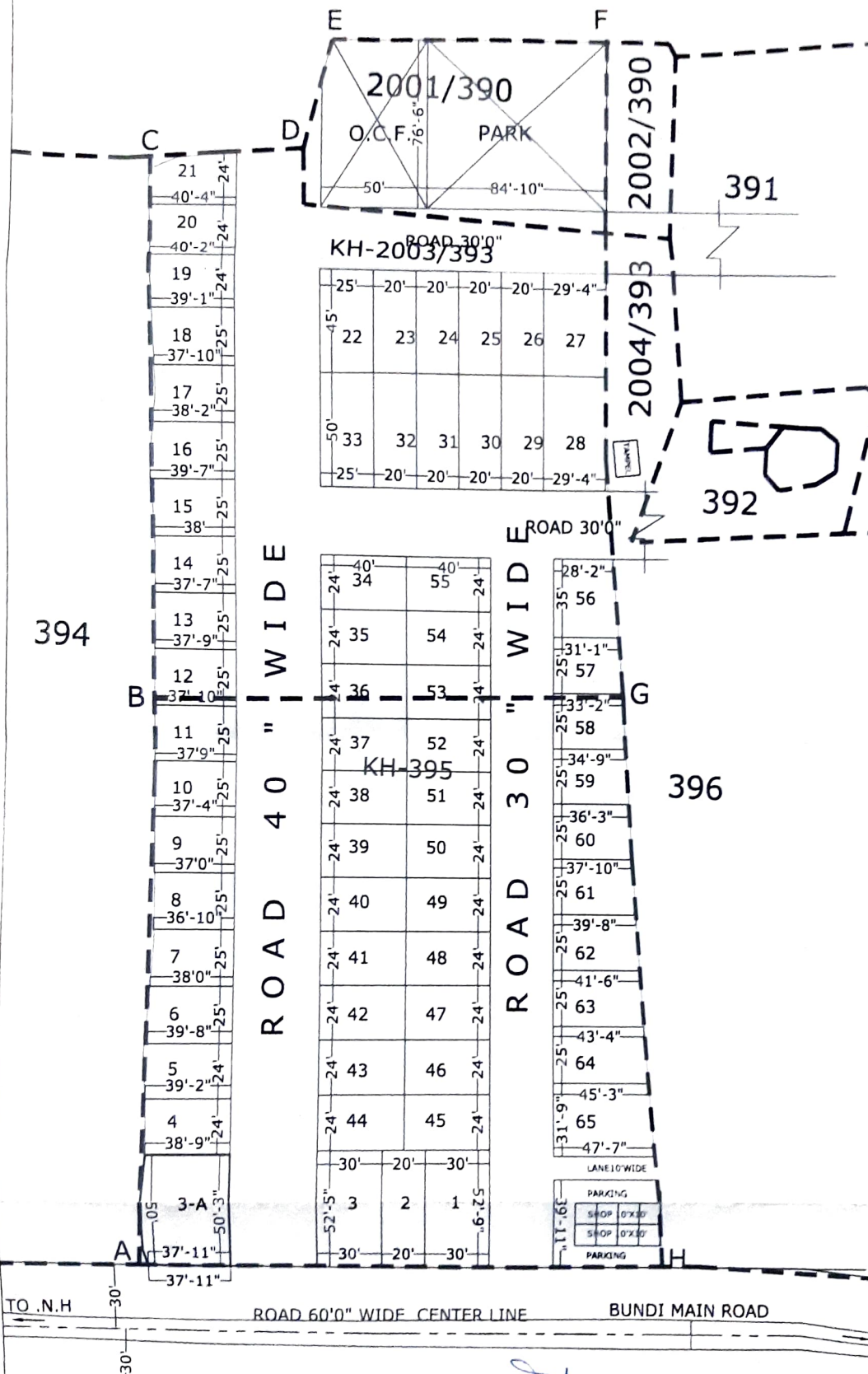
S.NO.	PARTICULAR	AREA S.Q.F.	
1.	RESIDENTIAL	67234.10	56.41%
2.	PARK	6481.94	5.44%
3.	I. C.	1994.33	1.67%
4.	OCF	3786.63	3.18%
4.	ROAD	39699	33.30%
TOTAL AREA		119196	100%

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS - - - - -

SCHEME AREA SHOWN THUS-A,B,C,D,E,F,G,H

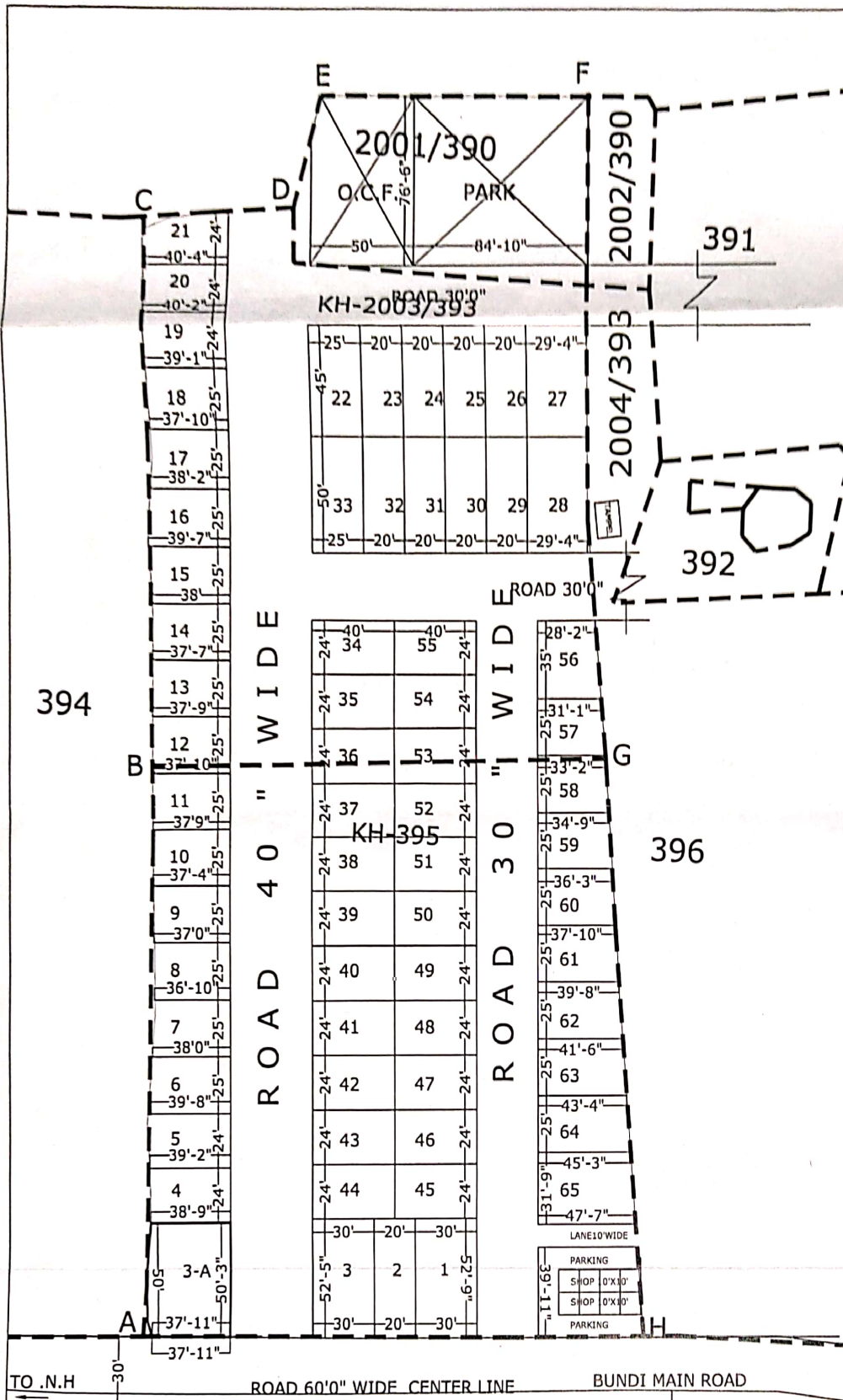
SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS
SIGNATURE



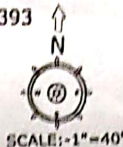
आयुक्त
नगर परिषद, बुन्दी
R.P.
नगर

FINAL & REVISED MAP



PROPOSED LAY OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY "SHREE OM ENCLAVE"

CHATAR PURA ROAD
VILLAGE:-DAVPURA,
TEH.-BUNDI, DIST.-BUNDI
KH. NO- 395, 2001/390, 2003/393



OWNER :-

TOTAL AREA :- 119196.00 SQ.F.
7 BIGHA - 4 BISWA

S.NO.	KH.NO-	BIGHA	BISWA
1	395	03	13
2	2001/390	00	11
3	2003/393	03	00
TOTAL		07	04

LAND ANALYSIS			
S.NO.	PARTICULAR	AREA S.Q.F.	
1.	RESIDENTIAL	67234.10	56.41%
2.	PARK	6481.94	5.44%
3.	I. C.	1994.33	1.67 %
4.	OCF	3786.63	3.18 %
4.	ROAD	39699	33.30%
TOTAL AREA		119196	100 %

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS -----

SCHEME AREA SHOWN THUS-A,B,C,D,E,F,G,H

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS
SIGNATURE

आयुक्त
नगर परिषद, बुन्दी
4.10.19